

19.08.2025 वकील वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय वादी को अवाजें दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अंशम पैरवी व अंशम दायिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दायरेन दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बिलोतरा